

३५.०७-२३

पञ्जावली वेश हुई। वकील वादी या वादी
स्वयं उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज लगाने पर
भी वकील वादी या वादी स्वयं उपस्थित नहीं हुआ।
अतः वादी का यह वादग्रह अदम्य पैरवी-अदम्य हाजिरी
में हमी स्तर पर वाजिब-किया जाता है। पञ्जावली
कादरतीक तकमील होकर दाखिल दफ्तर है।

निर्णीय लिखाया जाकर जुले न्यायालय में
मुनाया गया।


(अमिता बिशनोई)
RAS.